

स्वच्छता अभियान निगम आयुक्त ने स्वच्छ सर्वेक्षण के कार्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक लेकर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश

कचरे से पटी खाली भूखण्ड मालिकों को नोटिस, निगम वसूलेगा जुर्माना

रतलाम ■ राज न्यून नेटवर्क

नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे रिक्त भूखण्ड जो कि कचरे से पटे होकर अस्थायी कचरा स्थल बने हुए हैं। ऐसे भूखण्ड स्वामियों को 10-10 हजार की राशि जुर्माने के तौर पर भरने का नोटिस जारी करने के निर्देश निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने दिए।

निगम आयुक्त ने स्वच्छ सर्वेक्षण के कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सत्यप्रकाश आचार्य को निर्देशित किया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे रिक्त भूखण्ड जो कि कचरे से पटे होकर अस्थायी कचरा स्थल बने हुए हैं। ऐसे भूखण्ड स्वामियों को 10-10 हजार की राशि जुर्माने के तौर पर भरने का नोटिस 22 फरवरी से जारी कर जुर्माना राशि नगर निगम के संपत्तिकर, जलकर व स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाखा में जमा करवाये जाए। बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने



हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक के निर्देशानुसार 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैन्डी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक,

सजावट में उपयोग होने वाले धर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, प्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, टेक, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कचर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक रिटर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के

लिए निर्माणकर्ता, विक्रयकर्ता का प्रथम दिवस जुर्माने को कार्यवाही कर निर्माण व विक्रय प्रतिबंध किये जाने के लिए निर्देशित किया जाये इसके बाद निर्माण एवं विक्रय करता पाये जाने पर फेक्टरी व दुकान सील करने की कार्यवाही की जाए। खुले में यूरिन व शौच करने वालों पर प्रतिबंध लगाये जाने के लिए निगम आयुक्त ने सभी झोन प्रभारियों को निर्देशित किया कि अपने झोन में सतत निगरानी रखी जाकर खुले में यूरिन व शौच करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सत्यप्रकाश आचार्य, सहायक यंत्री श्याम सोनी, एम.के.जैन, अनवर कुरेशी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, निज सहायक सुभाष गोयल, उपयंत्री सुहास पंडित, बी.एल.चौधरी, ब्रजेश कुर्यावाह, मनीष तिवारी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर सहित झोन प्रभारी, नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

राज न्यून नेटवर्क 23/2/22

स्वच्छ भारत मिशन के कार्य को किस तरह से और बेहतर किया जा सके, लिए टेक्निकल सुझाव



सिंधम रिपोर्टर □ रतलाम

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत रतलाम नगर पालिक निगम में शहरवासियों से, गैर सरकारी संगठनों से एवं अन्य सभी लोगों से स्वच्छ भारत मिशन के कार्य को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए टेक्निकल सुझाव मांगे गए थे।

ईद चैलेंज का सोशल मीडिया के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, साथ ही शहर के कॉलेजों में भी जाकर विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिये प्रेरित किया गया, जिसमें कुल 10 प्रतिभागियों अपनी

रुचि दिखाते हुए अपने सुझाव भेजे। जिनमें से 2 सुझावों को क्रमशः 1. द ग्रीडिंग इंडिया फाउंडेशन एवं दूसरा सुझाव दीपिका पटेल द्वारा दिया गया था, इन्हें निगम द्वारा गठित कमिटी ने चुना। इन दोनों प्रतिभागियों ने निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने सुझावों को किस तरह जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में शहरवासियों को समझाया एवं साथ ही निगम ने इन सुझावों को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रतिभागियों की तमाम निवेशकों के साथ बैठक आयोजित की एवं इन्हें और ज्यादा कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिये पूरा समर्थन दिया।

सिंधम-२२

सिंधम-२२/१/२२

मिशन स्वच्छ एमपी: स्वच्छता के 2022 के टारगेट की रेस

स्वच्छता का अब हाईटेक अंदाज, स्मार्ट-क्लीनिंग मॉडल पर दौड़



पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. मप्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता 2022 के टारगेट की दौड़ का अंदाज हाईटेक हो गया है। दरअसल, शहरों की साफ-सफाई की निगरानी और प्रेजेंटेशन के लिए स्मार्ट क्लीनिंग मॉडल पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी वाले स्मार्ट गैजेट का इस्तेमाल भी होगा। केंद्रीय मंत्रालय ने इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टेक्नोलॉजी चैलेंज के 185 अंक भी रखे हैं। इससे साफ-सफाई के साथ टेक्नोलॉजी की स्मार्टनेस भी दिखानी होगी। इस पर फिलहाल इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा सरपट है। दूसरे शहरों के लिए भी लक्ष्य तय हैं। आने वाले दिनों में शहरी स्वच्छता का नया स्वरूप सामने होगा, जो स्मार्ट सफाई वाला होगा। पढ़िए इस पर विशेष रिपोर्ट...

ये राज्य तकनीक में बेहतर

गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और केरल के शहर स्वच्छता पर तकनीक के उपयोग

में बेहतर हैं। इस कारण मप्र को तकनीक के मामले में इन राज्यों से तगड़ी चुनौती मिलना है।



टेक्नोलॉजी चैलेंज

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के 7500 अंक में टेक्नोलॉजी चैलेंज के 185 अंक शामिल हैं। इसमें कचरा प्रबंधन, निपटान और व्यवस्था, कर्मचारियों, उनसे जुड़ी जानकारीयों एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना।

स्वच्छता मामले में मप्र के शहरों ने बेहतर काम किया है। इंदौर लगातार अक्वल है, दूसरे शहरों में भी काम हो रहा है। अगले सर्वेक्षण में और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। इसकी पूरी कार्ययोजना बनाई है।

भूपेंद्र सिंह, सी.डी, नगरीय प्रशासन विभाग, मप्र

ये लक्ष्य रखे 2022 के

- प्रदेश की सभी 378 निकायों को ओडीएफ डबल प्लस प्राप्त करना है।
- सभी नगर निगमों को 5 स्टार और शेष सभी निकायों को न्यूनतम 3 स्टार।
- सभी नगर निगमों को गोल्ड व बाकी निकायों को न्यूनतम सिल्वर रैंक मिले।

तकनीक से ये फायदा

- निगरानी का बेहतरंत्र बन सके, रियल टाइम निगरानी
- ऑनलाइन कचरा प्रबंधन की डिटेल् मिल सकेगी
- सफाईकर्मी व अन्य कर्मचारियों का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर हो
- कम खर्च में सेप्टिक टैंक व सीवरेज लाइन स्मार्ट हल, तेज काम
- ई-वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और मेडिकल वेस्ट का बेहतर मैनेजमेंट

पत्रिका 23/12/22

कचरे से भरी बावड़ी में गिरी महिला, स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू

सिद्धम रिपोर्टर □ रतलाम

मीराकुटी क्षेत्र में आज एक महिला अचानक से बावड़ी में गिर गई। बावड़ी में पानी अधिक नहीं होने से महिला डूबी नहीं लेकिन कचरे और कीचड़ के दलदल में फंस गई। महिला के बावड़ी में गिरने पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। क्षेत्रीय पार्षद भगत सिंह भदोरिया ने फायर ब्रिगेड को बुलवाकर स्थानीय लोगों के साथ महिला महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे उसके घर तक पहुंचाया है।



घटना रविवार दोपहर की है। जहाँ मीराकुटी स्थित बावड़ी में एक महिला

अचानक से गिर गई जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। महिला कचरा और कीचड़ के दलदल में फंसती जा रही थी लेकिन लोगों ने समय रहते फायर ब्रिगेड को कॉल कर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार महिला कचरा फेंकने के लिए बावड़ी के पास पहुंची थी तभी अचानक संतुलन बिगड़ने पर वह बावड़ी में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से महिला की जान बच गई।

महिला की जान बच गई।

सिद्धम - २२

सिद्धम - २२/२/२२

कचरे से पटे रिक्त भूखण्ड स्वामियों को जुर्माने का होगा नोटिस जारी

रतलाम ● नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे रिक्त भूखण्ड जो कि कचरे से पटे होकर अस्थायी कचरा स्थल बने हुए हैं, ऐसे भूखण्ड स्वामियों को 10-10 हजार की राशि जुर्माने के तौर पर भरने का नोटिस जारी करने के निर्देश निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने दिए। श्री झारिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण के कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सत्यप्रकाश आचार्य को निर्देशित किया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे रिक्त भूखण्ड जो कि कचरे से पटे होकर अस्थायी कचरा स्थल बने हुए हैं ऐसे भूखण्ड स्वामियों को 10-10 हजार की राशि जुर्माने के तौर पर भरने का नोटिस जारी कर जुर्माना राशि नगर निगम के संपत्तिकर, जलकर व स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाखा में जमा करवाए जाए।

रतलाम

29/12/22

अस्थाई गुमटियां हटाई

रतलाम. नगर निगम के राजस्व विभाग व लोकनिर्माण विभाग ने मिलकर प्रताननगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 10 से अधिक गुमटियों को हटाया। यह गुमटियां प्रताननगर ओवरब्रिज के नीचे लगी हुई थी। इनकी शिकायत निगम को प्राप्त हुई थी। इसके बाद कार्रवाई की गई।

4/3/22

एक लाख बकाया, दुकान सील

रतलाम. शहर में बकायादारों के खिलाफ नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाना शुरू किया है। मंगलवार को सायर चबुतरा क्षेत्र में नथमल मोतीलाल का बकाया प्रापटी टैक्स 1.27 लाख से अधिक होने पर दुकान को सील कर दिया गया। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

पत्रिका 23/2/22

12 सफाई मित्रों का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम। स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया। सुबह 11 व दोपहर में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित मिला। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताया।

4/3/22

व्यवहार 23/2/22

26 सफाई मित्रों का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम। सफाई व्यवस्था से मंगलवार को 23 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सभी का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। इनमें जौन एक के 5, जौन दो के 12, जौन तीन के 5, जौन चार के 4 कर्मचारी शामिल हैं।

4/3/22

द. मास्कर 23/2/22

सवा तीन करोड़ की राशि करेंगे अंतरित

सीएम आज करेंगे पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से चर्चा

रतलाम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान बुधवार को भोपाल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से वर्चुअल तरीके से प्रदेश के हितग्राहियों को गृह प्रवेश के साथ भूमिपूजन कराएंगे। आवासों की किस्त राशि बैंक खातों में अंतरित करेंगे। इस अवसर पर रतलाम जिले के 339 हितग्राहियों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री ने सवा तीन करोड़ रुपए की किस्त राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। इस दौरान सीएम जावरा नगर पालिका क्षेत्र के हितग्राही से संवाद करेंगे।

परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण अरुण पाठक ने बताया कि जिले के सभी नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भोपाल में होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। नगर निगम रतलाम के 159 हितग्राहियों, जावरा के 29, आलोट के 63, पिपलोदा के 9, बड़ावदा के 3, ताल के 58, सैलाना के 4, नामली तथा धामनोद के 7-7 हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 487 हितग्राहियों के आवासों का भूमिपूजन तथा 1014 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे।

11/23

पत्रिका 23/2/22

आज जिले के पीएम आवास हितग्राहियों के खाते में आएंगे सवा तीन करोड़ रुपए

रतलाम। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान 23 फरवरी को वर्चुअल प्रदेश के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाएंगे और भूमिपूजन करेंगे। आवासों की किस्त राशि बैंक खातों में अंतरित करेंगे। जिले के 339 हितग्राहियों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री द्वारा सवा तीन करोड़ रुपये की किस्तों की राशि सिंगल क्लिक द्वारा अंतरित की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री जावरा नगर पालिका क्षेत्र के हितग्राही से संवाद करेंगे। नगर निगम रतलाम के 159

हितग्राहियों, जावरा के 29, आलोट के 63, पिपलोदा के 9, बड़ावदा के 3, ताल के 58, सैलाना के 4, नामली तथा धामनोद के 7-7 हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि अंतरित होगी। इसके अलावा 487 हितग्राहियों के आवासों का भूमिपूजन तथा 1014 हितग्राहियों का गृह प्रवेश सीएम कराएंगे। परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण अरुण पाठक ने बताया कि जिले के सभी नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित होगा।

बड़ौदा 23/2/22

प्रधानमंत्री आवास योजना : मुख्यमंत्री आज हितग्राहियों के बैंक खातों में किस्त राशि अंतरित करेंगे, करेंगे संवाद

रतलाम। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान 23 फरवरी को भोपाल राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल प्रदेश के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाएंगे, भूमिपूजन करेंगे। आवासों की किस्त राशि बैंक खातों में अंतरित करेंगे।

इस अवसर पर रतलाम जिले के 339 हितग्राहियों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री द्वारा

सवा तीन करोड़ रुपए की किस्तों की राशि सिंगल क्लिक द्वारा अंतरित की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री जावरा नगर पालिका क्षेत्र के हितग्राही से संवाद करेंगे। 23 जनवरी को रतलाम जिले के नगर निगम रतलाम के 159 हितग्राहियों, जावरा के 29, आलोट के 63, पिपलोदा के 9, बड़ावदा के 3, ताल के 58, सैलाना के 4, नामली तथा धामनोद के 7-7 हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि अंतरित

करेंगे। इसके अलावा 487 हितग्राहियों के आवासों का भूमिपूजन तथा 1014 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण अरुण पाठक ने बताया कि जिले के सभी नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित होंगे। भोपाल में होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

खयारत 23/2/22

मुख्यमंत्री श्री चौहान पीएमएवाय (शहरी) में करेंगे एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित

रतलाम। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र (मिन्टो हॉल) भोपाल में 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सिंगल क्लिक के माध्यम से 26 हजार 500 आवास हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपये की किस्त अंतरित करेंगे। साथ ही 50 हजार नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30 हजार नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा जनसम्पर्क के यूट्यूब चैनल पर भी किया जायेगा। इसके साथ ही वेबकास्ट इन्फो/इड/एड/एड/एड/एड पर भी प्रसारण होगा।

स्वतंत्रता 23/2/22

कब्जा हटाकर गुमटियां व अन्य सामग्री जब्त की
**प्रताप नगर ओवरब्रिज के नीचे
 चली जेसीबी , हटाया अतिक्रमण**



प्रतापनगर ओवरब्रिज के नीचे से अतिक्रमण हटाती हुई जेसीबी । • नईदुनिया

रतलाम। नगर निगम द्वारा मंगलवार को प्रताप नगर ओवरब्रिज के नीचे व सड़क के दोनों ओर स्थायी अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाकर गुमटियां व अन्य सामग्री भी जब्त की गई।

अतिक्रमण दस्ते ने निगम आयुक्त के निर्देशानुसार प्रताप नगर ओवरब्रिज

के नीचे रोड साइड में खराब कार ब्रेन के माध्यम से हटाकर जब्त की। इसके अलावा रोड साइड में टीन शेड हटाया गया। चार गुमटियां व अन्य सामान हटाकर जब्त किया गया। ब्रिज के नीचे व सड़क के साइड में अतिक्रमण होने से आवागमन में परेशानी होने के साथ

ही अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा गंदगी भी की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण दस्ता प्रभारी राजेंद्र मिश्रा, उपयंत्री ब्रजेश कुरावाह, दीक्षा निजामपुरकर आदि उपस्थित थे। 2/2

नईदुनिया 23/12/22

प्रताप नगर ओवर ब्रिज के नीचे से हटाया अतिक्रमण



रतलाम। नगर निगम अमले ने प्रताप नगर ओवर ब्रिज के नीचे और सड़क के दोनों तरफ का स्थायी अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण दस्ते ने 4 गुमटियां, एक खराब वैन व अन्य सामान जब्त भी किया। कार्रवाई रहवासियों की शिकायत पर की, जिन्हें सड़क पर वाहन खड़े होने से आने-जाने में परेशानी हो रही थी। कार्रवाई अतिक्रमण दस्ता प्रभारी राजेंद्र मिश्रा, उपयंत्री ब्रजेश कुरावाह, दीक्षा निजामपुरकर के निर्देशन में हुई। दुकानदार ने कई माह से किराया नहीं जमा कराया था। इससे 127777 रुपए चकाया हो गए थे। आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर दुकान सील की।

द. 23/12/22



गंगासागर में 50 करोड़ की जमीन फिर होगी सरकारी

रतलाम » दबंग रिपोर्ट

रतलाम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर करोड़ों की सरकारी और नीजि जमीनों से भी कब्जे, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। सोमवार रात को शहर के गंगासागर क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा हथियाई गई लगभग 50 करोड़ रुपए की भूमि पुनः नगर निगम के नाम करने की कवायद की गई। कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही के साथ उक्त भूमि पुनः नगर निगम के नाम की जाएगी। गंगासागर क्षेत्र में किसी भू-माफिया द्वारा नगर निगम की लगभग 4

मंगलवार को प्रतापनगर ब्रिज के नीचे से हटाया अतिक्रमण

हेक्टेयर भूमि अपने नाम करा ली गई थी। दूसरी ओर मंगलवार को प्रतापनगर ओवरब्रिज के नीचे होमगार्ड कॉलोनी के सामने मुख्य सड़क से भी अतिक्रमण हटाया गया। यहां भी करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन पर लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। प्रशासन, पुलिस की टीम ने पहुंचकर जेसीबी की मदद से अवैध रूप से बनाई गई गुमटी, मकान, दुकान

तोड़ने के साथ ही बाउंड्री आदि भी हटाई। करोड़ों रुपए की यह संपत्ति निजी रूप से कब्जा करके इस्तेमाल की जा रही थी। जबकि इसके पहले सोमवार शाम को कलेक्टर के निर्देश पर आनंद कॉलोनी से लगी कालिका माता मंदिर की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया। शासकीय अमला प्रातः स्थल पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। भूमि का मूल्य लगभग डेढ़ से 2 करोड़ रुपए है।

दबंग रिपोर्ट 23/1/22

50 करोड़ ₹ की जमीन फिर से निगम के नाम

रतलाम, नप्र। रतलाम शहर के गंगासागर क्षेत्र में भूमाफिया की ओर से हथियाई गई लगभग 50 करोड़ रुपए की जमीन फिर से नगर निगम के नाम होगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि किसी भू माफिया ने नगर निगम की लगभग चार हेक्टेयर जमीन को अपने नाम करवा लिया था जिसकी जांच के आदेश दिए हैं। कार्यवाही के साथ ही जमीन फिर से नगर निगम के नाम की जाएगी। कलेक्टर ने चेताया कि रतलाम जिले में भू माफिया के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर बेशकीमती जमीन वापस लेने के लिए सरकारी जमीन से कब्जे हटाए जा रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

आनंद कॉलोनी रोड से लगी जमीन से भी कब्जा हटाया

रतलाम, नप्र। सरकारी जमीन से कब्जे हटाने के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के तहत शहर की आनंद कॉलोनी से लगी कालिका माता मंदिर की जमीन से भी प्रशासन ने कब्जा हटाया। बताया गया कि तकरीबन डेढ़ से दो करोड़ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था।

प्रभात रिपोर्ट 22/1/22



आनंद कॉलोनी रोड से लगी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया

रतलाम। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिले में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के तहत सोमवार को रतलाम शहर की आनंद कॉलोनी से लगी कालिका माता मंदिर की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया। शासकीय अमला प्रातः स्थल पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। भूमि का मूल्य लगभग डेढ़ से 2 करोड़ रूपए है।

गंगासागर क्षेत्र में हथियाई गई 50 करोड़ रुपए भूमि पुनः नगर निगम के नाम होगी

रतलाम। रतलाम शहर के गंगासागर क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा हथियाई गई लगभग 50 करोड़ रुपए की भूमि पुनः नगर निगम के नाम होगी। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम जिले में भू-माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और बेशकीमती जमीन वापस ली जा रही है। एक और प्रकरण में रतलाम के गंगासागर क्षेत्र में किसी भू-माफिया द्वारा नगर निगम को लगभग 4 हेक्टेयर भूमि अपने नाम करा ली गई थी >

रतलाम 23/12/22

गंगासागर क्षेत्र में हथियाई गई 50 करोड़ रुपए भूमि पुनः नगर निगम के नाम होगी

रतलाम। शहर के गंगासागर क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा हथियाई गई लगभग 50 करोड़ रुपए की भूमि पुनः नगर निगम के नाम होगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम जिले में भू-माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और बेशकीमती जमीन वापस ली जा रही है। एक और प्रकरण में रतलाम के गंगासागर क्षेत्र में किसी भू-माफिया द्वारा नगर निगम को लगभग 4 हेक्टेयर भूमि अपने नाम करा ली गई थी जिसकी जांच के आदेश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। कार्यवाही के साथ उक्त भूमि पुनः नगर निगम के नाम की जाएगी।

आनंद कॉलोनी रोड से लगी भूमि से अतिक्रमण हटाया

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिले में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के तहत सोमवार को रतलाम शहर की आनंद कॉलोनी से लगी कालिका माता मंदिर की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया। शासकीय अमला प्रातः स्थल पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। भूमि का मूल्य लगभग डेढ़ से 2 करोड़ रूपए है।

रतलाम 23/12/22

अतिक्रमण में गुमटी हटने से परेशान महिला ने रोते हुए जनसुनवाई में लगाई गुहार, कलेक्टर ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन

रतलाम। जनसुनवाई में पहुंची एक महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने से नाराज महिला आग में रोते हुए अपनी व्यथा बताई। जिस पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने न्याय उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन महिला को दिया। दरअसल रतलाम के महु नीमच रोड स्थित ओवर ब्रिज के नीचे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी।



मिस्त्र नगर निवासी साजिद खान की अतिक्रमण रखी गुमटी को निगम के अमले ने हटा दिया। जिस पर उसकी पत्नी ने जनसुनवाई में पहुंच गई और निगम के अधिकारियों के रवैए से नाराज होकर रोने लगी। जनसुनवाई में हंगामा होते देख कुमार पुरुषोत्तम ने डिप्टी कलेक्टर अभिषेक गहलोत को अपने पास बुलाया और महिला की समस्या की जानकारी लेकर न्याय उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। महिला ने बताया कि मेरे पति को कम दिखाई देता है हम लोग गुमटी लगाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। निगम के अधिकारियों ने घुमती हटा दी जिसे अब व्यापार कैसे करें। जिला की कलेक्टर के आश्वासन के बाद महिला संतुष्ट होकर जनसुनवाई से वापस लौट गई।

५ सित

५ सित - २३/१/२२

अतिक्रमण में गुमटी हटने से परेशान महिला ने रोते हुए जनसुनवाई में लगाई गुहार, कलेक्टर ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन

रतलाम। जनसुनवाई में पहुंची एक महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने से नाराज महिला आग में रोते हुए अपनी व्यथा बताई। जिस पर कलेक्टर कुमार



पुरुषोत्तम ने न्याय उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन महिला को दिया। दरअसल रतलाम के महु नीमच रोड स्थित ओवर ब्रिज के नीचे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। मिस्त्र नगर निवासी साजिद खान की अतिक्रमण रखी गुमटी को निगम के अमले ने हटा दिया। जिस पर उसकी पत्नी ने जनसुनवाई में पहुंच गई और निगम के अधिकारियों के रवैए से नाराज होकर रोने लगी। जनसुनवाई में हंगामा होते देख कुमार पुरुषोत्तम ने डिप्टी कलेक्टर अभिषेक गहलोत को अपने पास बुलाया और महिला की समस्या की जानकारी लेकर न्याय उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। महिला ने बताया कि मेरे पति को कम दिखाई देता है हम लोग गुमटी लगाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। निगम के अधिकारियों ने घुमती हटा दी जिसे अब व्यापार कैसे करें। जिला की कलेक्टर के आश्वासन के बाद महिला संतुष्ट होकर जनसुनवाई से वापस लौट गई।

५ सित

५ सित - २३/१/२२

भूमि पर कब्जा, नपती नहीं करने दे रहे

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 75 आवेदनों के निराकरण के निर्देश

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, एसडीएम राजेश शुक्ला तथा एसडीएम रतलाम ग्रामीण कृतिका भीमावद द्वारा 75 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में ग्राम बड़ौदा निवासी रुमगिवाई पुत्री भेरूलाल भील ने बताया कि शासन द्वारा धारा 62 के तहत वी सरकारी भूमि की नपती नहीं की जा रही है। शांतिनगर रतलाम निवासी यश लुणावत ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम विरियाखेड़ी तथा सिद्धार्थ नगर में भूमि विधिवत रूप से क्रय की है। कुछ भूमि तथा सरकारी भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा जबरन बाउंड्रीवाल बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण हटाया जाए जिससे प्रार्थी अपनी भूमि की नपती करवा सके। तहसीलदार शहर को



कलेक्टर सभागार में जनसुनवाई करते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम। • नईदुनिया

कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

दोगुना करने के नाम पर ले लिए रुपये

ग्राम ईसरधूनी निवासी तेजुवाई पति स्व. रुधनाथ बलाई ने बताया कि वर्ष 2012 में ग्राम के ही एक व्यक्ति

ने बैंक के नाम तीन लाख रुपये ले लिए और कहा कि सात साल में दोगुना हो जाएंगे। दिए गए कागज जाली हैं। इस घटना के बाद से परिवार के सदस्यों में भी विवाद की स्थिति बन रही है। प्रकरण निराकरण के लिए एसपी कार्यालय भेजा गया है। 45.

नईदुनिया 23/12/22

पीड़ित ने जनसुनवाई में लगाई गुहार

जबरन बाउण्ड्रीवॉल बनाकर जमीन पर किया कब्जा

तहसीलदार ने शिकायत पर कार्रवाई के लिए निर्देश, कुल 75 आवेदनों पर सुनवाई हुई

ऋण माफ किया, लेकिन माफ नहीं हुआ

रतलाम ● स्वदेश समाचार

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में 75 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में आवेदन देते हुए शांतिनगर रतलाम निवासी यश लुणावत ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम विरियाखेड़ी तथा सिद्धार्थ नगर में भूमि विधिवत रूप से क्रय की है। प्रार्थी की कुछ भूमि तथा सरकारी भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा जबरन बाउण्ड्रीवॉल बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अतः उक्त भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। तहसीलदार शहर को उचित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। ग्राम बड़ौदा निवासी रुक्मिणीबाई पिता



भेरुलाल भील ने बताया कि प्रार्थिया को शासन द्वारा धारा-62 के तहत सरकारी भूमि प्रदान की गई थी। उक्त जमीन की नपती करवाने तहसील कार्यालय में कई बार आवेदन दिया गया है परन्तु आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।

प्रार्थी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वे बार-बार तहसील कार्यालय नहीं जा सकती हैं, इसलिए प्रार्थी की जमीन की शीघ्र नपती करवाई जाए। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार ग्रामीण को प्रेषित किया गया है।

52 करोड़ की शासकीय भूमि को मुक्त कराया

रतलाम ● रतलाम शहर के गंगासागर क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा हथियारी गई लगभग 50 करोड़ रुपए की भूमि पुनः नगर निगम के नाम होगी। इसी प्रकार कलेक्टर के निर्देश पर कालिका माता मंदिर की 2 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि पर से भी अतिक्रमण हटाया गया। शहर के गंगासागर क्षेत्र में किसी भू-माफिया द्वारा नगर निगम की लगभग 4 हेक्टेयर भूमि अपने नाम करा ली गई थी जिसकी जांच के आदेश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। कार्रवाई के साथ उक्त भूमि पुनः नगर निगम के नाम की जाएगी। इसी तरह आनंद कॉलोनी से लगी कालिका माता मंदिर की भूमि जो लगभग 2 करोड़ रुपए की है उस पर से प्रशासकीय अमले ने अतिक्रमण हटाया। इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही थी।

ग्राम सेमलिया निवासी मदनसिंह पिता उट्टासिंह ने जनसुनवाई में बताया कि वर्ष 2008 में ऋण माफी और ऋण रास्त योजना अन्तर्गत प्राची के 38950 रुपए माफ किए गए थे। प्राची द्वारा वर्ष 2022 में बैंक में के.सी.सी. ऋण के सम्बन्ध में चर्चा की गई तो पता चला कि उक्त राशि का कर्ज माफ नहीं किया गया है। प्राची द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ताल पर जानकारी लेने पर वसं निवृत्त कर्मचारियों द्वारा अमदता की गई। अतः उक्त सम्बन्ध में संज्ञान लेते हुए प्राची का कर्ज माफ करवाया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

सात साल में दोगुने के लालच में फंसी

ग्राम ईसरयुनी निवासी तेजुबाई पति स्व. रुचनाबाई ने आवेदन में बताया कि वर्ष 2012 में ग्राम के ही एक व्यक्ति ने बैंक में रुपए डलवाने के नाम पर प्राधिया से 3 लाख रुपए ले लिए और कस कि सात साल में रुपए दोगुना हो जाएंगे। उक्त घटना के सम्बन्ध में चर्चा करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा मुझे दो कागज दिए गए जो कि जाली हैं। इस घटना के बाद से परिवार के सदस्यों में भी शिवाय कहीं स्थिति उत्पन्न हो रही है, वही प्राधिया की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। कृपया उक्त राशि दिलवाने में मदद की जाए। प्रकरण निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पेषित किया गया है।

स्वदेश 23/12/22

जनसुनवाई में 75 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए

सरकारी भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा जबरन बाउण्ड्रीवाल बनाकर किया कब्जा

प्रसारण न्यूज • रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम रजेश शुक्ला तथा एसडीएम रतलाम ग्रामीण कृषि भीमावद द्वारा 75 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में आवेदन देते हुए ग्राम बड़ौदा निवासी रुकमणीबाई पिता भेरुलाल भील ने बताया कि प्रार्थिया को शासन द्वारा धारा 62 के तहत सरकारी भूमि प्रदान की गई थी। उक्त जमीन की नपती करवाने तहसील कार्यालय में कई बार आवेदन दिया गया है परन्तु आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। प्रार्थी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वे बार-बार तहसील कार्यालय नहीं जा सकती हैं, इसलिए प्रार्थी की जमीन की शीघ्र नपती करवाई जाए। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार ग्रामीण को प्रेषित किया गया है। शांतिनगर रतलाम निवासी यश लुणावत ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम विरियाखेड़ी तथा सिद्धार्थ नगर में भूमि विधिवत रूप से क्रय की है। प्रार्थी की कुछ भूमि तथा सरकारी भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा जबरन बाउण्ड्रीवाल बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है जिससे प्रार्थी को स्वयं के भूखण्ड की नपती करवाने में काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। अतः उक्त भूमि से अवैध अतिक्रमण हटया जाए जिससे प्रार्थी अपनी भूमि की नपती करवा सके। तहसीलदार शहर को उचित कार्यवाही करने हेतु



निर्देशित किया गया है।

ग्राम सेमलिया निवासी मदनसिंह पिता उदयसिंह ने जनसुनवाई में बताया कि वर्ष 2008 में ऋषा माफी और ऋषा रहत योजना अन्तर्गत प्रार्थी के 38950 रुपए माफ किए गए थे। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2022 में बैंक में के.सी.सी. ऋषा के सम्बन्ध में चर्चा की गई तो पता चला कि उक्त राशि का कर्ज माफ नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक वाले पर जानकारी लेने पर वहां नियुक्त कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की गई। अतः उक्त सम्बन्ध में संज्ञान लेते हुए प्रार्थी का कर्ज माफ करवाया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

ग्राम ईसरथुनी निवासी तेजुबाई पति स्व. रुचनाथ बलाई ने आवेदन में बताया कि वर्ष 2012 में ग्राम के ही एक व्यक्ति ने बैंक में रुपए डलवाने के नाम पर प्रार्थिया से 3 लाख रुपए ले

लिए और कहा कि सात साल में रुपए दोगुना हो जाएंगे। उक्त घटना के सम्बन्ध में चर्चा करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा मुझे दो कागज दिए गए जो कि जाली हैं। इस घटना के बाद से परिवार के सदस्यों में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहीं प्रार्थिया की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। कृपया उक्त राशि दिलवाने में मदद की जाए। प्रकरण निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित किया गया है।

ग्राम चिकलाना निवासी बद्रीलाल पंपोडिया ने बताया कि प्रार्थी का पुराना मकान कट्टी मिट्टी ख ईंट में बना होकर जर्जर हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कई बार आवेदन दिए गए परन्तु प्रार्थी को किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति होकर मेहनत, मजदूरी कर अपने परिवार का लालन-

पालन करता है। प्रकरण निराकरण के लिए सीईओ पिपलौदा को भेजा गया है।

पटन टोली जाँवर निवासी अकील शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी को सन् 2014 में शासन द्वारा मुगलपुर कब्रिस्तान, हुसैन टेकरी शरीफ रोड कब्रिस्तान, खवाजा अबु सईद शाह रहमतुल्ला अलेह कब्रिस्तान तथा तकिया पटन टोली मोहल्ल की व्यवस्था हेतु मुलवड़ी नियुक्त किया गया था। प्रार्थी को गत 6 साल-10 माह का मानदेय देना बकाया है। शासन द्वारा मात्र 6 हजार रुपए प्रार्थी के खाते में जमा किए गए जिसे वर्ष 2020 में पुनः बैंक में जमा कर शासन द्वारा निकाल लिए गए हैं। अतः प्रार्थी को शासन की गाईड लाइन अनुसार चारों कब्रिस्तानों का बकाया मानदेय प्रदान किया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए एसडीएम जाँवर को भेजा गया है।

उसको

उसको 23/2/22

सरकारी जमीन पर लोगों ने किया कब्जा कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचा आवेदक

रतलाम » दर्शन रिपोर्टर

ग्राम विरियाखेड़ी तथा सिद्धार्थ नगर में कुछ निजी और सरकारी भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा जबरन बाउण्ड्रीवाल बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इससे स्वयं के भूखण्ड की नपती करवाने में काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। शांतिनगर रतलाम निवासी यश लुणावत ने यह आवेदन जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने पेश किया। शिकायत पर कलेक्टर ने तहसीलदार शहर की अतिक्रमण की जांच कर, अतिक्रमण होने पर इसे हटवाने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्टोरेट में हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य आदि ने 75 आवेदनों पर सुनवाई की। जनसुनवाई में आवेदन देते हुए ग्राम बडौदा निवासी रूक्मिणीबाई पिता भेरुलाल ने बताया कि प्रार्थिया को शासन द्वारा धारा 62 के तहत सरकारी भूमि प्रदान की गई थी। जमीन की नपती करवाने तहसील कार्यालय में कई बार आवेदन दिया। कोई सुनवाई नहीं की गई है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वे बार-बार तहसील कार्यालय नहीं जा सकते।



कोई बैंक तो कोई सरकारी विभागों से परेशान

ग्राम सेवकिया निवासी मदनसिंह पिता उदयसिंह ने जनसुनवाई में बताया कि वर्ष 2008 में ऋण माफी और ऋण राहत योजना अन्तर्गत प्रार्थी के 38950 रुपए माफ किए गए थे। प्रार्थी द्वारा जिला सरकारी केन्द्रीय बैंक ताल पर जनकारी लेने पर वहां नियुक्त कर्मचारियों द्वारा अमददा की गई। ग्राम ईसरधुनी निवासी तेजुबाई पति स्व. रुभनाथ बत्ताई ने आवेदन में बताया कि वर्ष 2012 में ग्राम के ही एक व्यक्ति ने बैंक में रुपए उलटाने के नाम पर प्रार्थिया से 3 लाख रुपए ले लिए। प्रकरण निरकरण के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित किया गया है। पटान टोली जागरा निवासी अकील शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी को 2014 में शासन द्वारा मुगलपुरा कश्तिरान, हुसैन टेकरी रतीक रोड कश्तिरान, खवाणा अबु सईद शाह रहमतुल्ला अल्लेह कश्तिरान तथा तकिया पटान टोली मोहल्ला की व्यवस्था हेतु मुगलपुरा निगुत किया गया था। प्रार्थी को गत 6 साल 80 माह का मानदेय देना बकाया है।

फसल बीमा राशि नहीं मिलने से परेशान किसान

खरीफ व रबी फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से ग्राम कसारी तहसील आलोटे के 25 से अधिक किसान कलेक्टोरेट पहुंचे। गांव के किसान रामचंद्र ने बताया कि 2019 की खरीफ व रबी की फसल बीमे का 1 लाख से अधिक की राशि आज तक नहीं मिली है। लगातार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। राशि भी बैंक के द्वारा प्रीमियम किसानों के खाते से काट ली गई किंतु वर्ष 2019 में पूर्णतः नष्ट होने के बाद भी फसलों के बदले बीमा राशि आज तक नहीं। क्षेत्र के 90% लोगों को बीमा राशि प्राप्त हो चुकी है, उने गांव के दो दर्जन से ज्यादा किसान परेशान है।

दर्शन

दर्शन रिपोर्टर 23/12/22

बिरियाखेड़ी में विधायक निधि से बनेगी मुक्तिधाम की सड़क



रतलाम » दवंग रिपोर्टर

विधायक चेतन्य काश्यप ने बिरियाखेड़ी में मुख्य मार्ग से मुक्तिधाम तक सड़क निर्माण के लिए 12 लाख 92 हजार रूपए की स्वीकृति दी है। इसका पत्र उन्होंने मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित के नेतृत्व में आए क्षेत्रवासियों के प्रतिनिधि मंडल

को सौंपा।

यह राशि विधायक निधि से दी जाएगी। पत्र देने के दौरान मंडल अध्यक्ष श्री पुरोहित के साथ धर्मेन्द्र सिंह देवडा, जयेश वसावा, हीरालाल सीरवी, उंकार सिरवी, संतोष बैरागी, विवेक शर्मा, मोहनलाल सिरवी आदि मौजूद रहे।

दवंग
द्वंद्वग दुर्गाश / 23/2/22



बिरियाखेड़ी में विधायक निधि से बनेगी सड़क

रतलाम (आरएनएन)। विधायक चेतन्य काश्यप ने बिरियाखेड़ी में मुख्य मार्ग से मुक्तिधाम तक सड़क निर्माण के लिए 12 लाख 92 हजार रूपए की स्वीकृति दी है। इसका पत्र उन्होंने मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित के नेतृत्व में आए क्षेत्रवासियों के प्रतिनिधि मंडल को सौंपा। यह राशि विधायक निधि से दी जाएगी। पत्र देने के दौरान मंडल अध्यक्ष श्री पुरोहित के साथ

धर्मेन्द्र सिंह देवडा, जयेश वसावा, हीरालाल सीरवी, उंकार सिरवी, संतोष बैरागी, विवेक शर्मा, मोहनलाल सिरवी, सौभाग्यमल कोठारी, चेतना पाटीदार, शंकरलाल सिरवी, करण ठाकुर, नरेंद्र सोलंकी, कन्हैयालाल टांक, शंकरलाल पडियार, निलेश सिरवी, प्रवीण सिरवी, शेखर प्रजापत, दीपक प्रजापत, अभय शर्मा, धनलाल पुरोहित एवं दिनेश पटेल आदि मौजूद रहे।

राज्य प्रसारक 23/2/22

बिरियाखेड़ी में बनेगी मुक्तिधाम की रोड



रतलाम. शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने बिरियाखेड़ी में मुख्य मार्ग से मुक्तिधाम तक रोड निर्माण के लिए 12 लाख 92 हजार रूपए की स्वीकृति दी है। इसका पत्र उन्होंने मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित के नेतृत्व में आए क्षेत्रवासियों के प्रतिनिधि मंडल को सौंपा। यह राशि विधायक निधि से दी जाएगी। पत्र देने के दौरान मंडल अध्यक्ष पुरोहित के साथ धर्मेन्द्र सिंह देवडा, जयेश वसावा, हीरालाल सीरवी, उंकार सिरवी, संतोष बैरागी आदि मौजूद रहे।

पत्रिका 23/2/22

बिरियाखेड़ी में विधायक निधि से बनेगी मुक्तिधाम की सड़क



रतलाम | विधायक चेतन्य काश्यप ने बिरियाखेड़ी में मुख्य मार्ग से मुक्तिधाम तक सड़क निर्माण के लिए 12 लाख 92 हजार रूपए की स्वीकृति दी है। मंगलवार को इसका पत्र विधायक काश्यप ने मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित के साथ आए क्षेत्रवासियों के प्रतिनिधि मंडल को सौंपा। यह राशि विधायक निधि से दी जाएगी। धर्मेन्द्र सिंह देवडा, जयेश वसावा, हीरालाल सिरवी, उंकार सिरवी, संतोष बैरागी, विवेक शर्मा, मोहनलाल सिरवी, सौभाग्यमल कोठारी, चेतना पाटीदार, शंकरलाल सिरवी, करण ठाकुर, नरेंद्र सोलंकी, कन्हैयालाल टांक आदि साथ थे।

मंगलवार को कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने हितग्राहियों ने सुनाई अपनी समस्याएं

जमीन की नपती आज-तक नहीं हो सकी साहब

रतलाम ■ राज नूज नेटवर्क

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिडे, एसडीएम राजेश सुक्ता तथा एसडीएम रतलाम ग्रामीण कृषिका भीमलक्ष्मी द्वारा 75 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में आवेदन देते हुए ग्राम बड़ौदा निवासी रमकेश प्रीत सिंह पिता भेरुलाल भील ने बताया कि प्रार्थिया को शासन द्वारा धारा 62 के तहत सरकारी भूमि प्रदान की गई थी। उक्त जमीन की नपती करवाने तहसील कार्यालय में कई बार आवेदन दिया गया है। परन्तु आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। प्रार्थी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वे बार-बार तहसील कार्यालय नहीं जा सकते हैं, इसलिए प्रार्थी की जमीन की शीघ्र नपती करवाई जाए। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार ग्रामीण को प्रेषित किया गया है। शांतिनगर रतलाम निवासी यश लुणावत ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम विरियाखेड़ी तथा सिद्धार्थ नगर में भूमि विधिवत रूप से क्रय की है। प्रार्थी की कुछ भूमि तथा सरकारी भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा जबरन बाउण्ड्रीवाल बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है जिससे प्रार्थी को स्वयं के भूखण्ड की नपती करवाने में काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है।



अतः उक्त भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए जिससे प्रार्थी अपनी भूमि की नपती करवा सकें। तहसीलदार शहर को उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। ग्राम सेमलिया के मदनसिंह पिता उदयसिंह ने जनसुनवाई में बताया कि वर्ष 2008 में ऋषा माफी और ऋषा राहत योजना अन्तर्गत प्रार्थी के 38950 रुपए माफ किये गए थे। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2022 में बैंक में केसीसी ऋषा के संबंध में चर्चा की गई तो पता चला कि उक्त राशि का कर्ज माफ नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ताल पर

जानकारी लेने पर वहां नियुक्त कर्मचारियों द्वारा अपद्रता की गई। अतः उक्त संबंध में संज्ञान लेते हुए प्रार्थी का कर्ज माफ करवाया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

ग्राम ईसरथुनी निवासी तेजुबाई प्रति. स्व. रुधनध बलार्डे ने आवेदन में बताया कि वर्ष 2012 में ग्राम के ही एक व्यक्ति ने बैंक में रुपए डलवाने के नाम पर प्रार्थिया से 3 लाख रुपए ले लिए और कहा कि सात साल में रुपए देगुना हो जाएंगे। उक्त घटना के सम्बन्ध में चर्चा करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा मुझे दो कागज दिए

गए जो कि जाली हैं। इस घटना के बाद से परिवार के सदस्यों में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहीं प्रार्थिया की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। कृपया उक्त राशि दिलवाने में मदद की जाए। प्रकरण निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित किया गया है।

ग्राम चिककलाना निवासी बद्रीलाल पंपोडिया ने बताया कि प्रार्थी का पुराना मकान कट्टी मिट्टी ब इंट में बना होकर जर्जर हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कई बार आवेदन दिए गए परन्तु प्रार्थी को किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति होकर मेहनत, मजदूरी कर अपने परिवार का तालन-पालन करता है। प्रकरण निराकरण के लिए सीईओ पिपलीया को भेजा गया है।

पठन टोली जावार निवासी अकील शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी को सन् 2014 में शासन द्वारा मुगलपुरा कब्रिस्तान, हुसैन टैकरी शरीफ रोड कब्रिस्तान, ख्वाजा अबु सयद शाह रहमनुल्ल अल्लेह कब्रिस्तान तथा तकिया पठन टोली मोहल्ल की व्यवस्था हेतु मुतवल्ली नियुक्त किया गया था। प्रार्थी को गत 6 साल 10 माह का मानदेय देना बकया है। शासन द्वारा मात्र 6 हजार रुपए प्रार्थी के खाते में जमा किए गए जिसे वर्ष 2020 में पुनः बैंक में जमा कर शासन द्वारा निकाल लिए गए हैं। अतः प्रार्थी को शासन की गई ड लाइन अनुसार चारों कब्रिस्तानों का बकाया मानदेय प्रदान किया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए एसडीएम जावार को भेजा गया है। 21/1

राज नूज नेटवर्क 23/12/22

सेंट्रल बैंक ने 26 में से 23 करोड़ रुपये के लोन बांटे

रतलाम। क्रेडिट आउटरीच कैम्प में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत 26.69 करोड़ रुपये के ऋण में से 23.02 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। नवंबर 2021 को हुए कार्यक्रम में सभी बैंकों से कुल 143.37 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए थे। इसमें सेंट्रल बैंक के प्रकरणों में एमडी द्वारा दिए गए चेक में से अब तक 23.02 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। बैंक प्रबंधन ने जानकारी दी कि शेष ऋण के प्रकरण की स्वीकृति/ वितरण भी 10 दिनों में कर दिया जाएगा।

मालूम हो कि आउटरीच मेगा कैम्प में 143.37 करोड़ रुपये के ऋण में सभी बैंकों को मिलाकर जिले के 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को 7.87 करोड़ रुपये, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के तहत 336 हितग्राहियों को 55.54 करोड़ रुपये, रिटेल के तहत 99 हितग्राहियों को 49.92 करोड़, कृषि क्षेत्र के 606 हितग्राहियों को 21.81 करोड़ रुपये, पीएम मुद्रा में 131 हितग्राहियों को 5.50 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री स्टार्ट वेंचर में 66 हितग्राहियों को 12 लाख रुपये के ऋण वितरित किए

कार्रवाई

- आउटरीच कैम्प में एमडी ने दिए थे चेक
- 90 प्रतिशत प्रकरणों में ऋण राशि तत्काल जारी कर दी थी

गए थे। इनमें सेंट्रल बैंक के प्रकरणों में 90 प्रतिशत प्रकरणों में ऋण राशि तत्काल जारी कर दी गई थी। अन्य शासकीय योजनाओं में भी बैंक द्वारा लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृत किए जा रहे हैं।

वेतनधारकों के स्वजन का खाता भी शून्य बैलेंस पर खुलेगा

रतलाम। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वेतन खाताधारकों के स्वजन के बचत खाते जीरो बैलेंस पर खोले जाएंगे। इसके साथ ही खाते में आनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस, ड्रफ्ट जारी करने तथा एसएमएस अलर्ट के कोई चार्ज नहीं लगेंगे। अन्य कई प्रकार की सुविधाएं एसबीआई रिस्के के अंतर्गत रहेंगी। बैंक की किसी भी शाखा से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

अई।
अइ.मी. 23/12/22

दस दिन में सारी राशि हो जाएगी वितरित

रतलाम। बरबड़ विधायक सभागृह में क्रेडिट आउटरीच अभियान के तहत लगाए मेगा कैम्प में 143.37 करोड़ के ऋण विभिन्न बैंकों ने हितग्राहियों का बांटे थे। 28.69 करोड़ रुपये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत किए थे। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया 23.09 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। बाकी बची राशि आगामी दस दिन में वितरित कर दी जाएगी।

अई।
द.बास्कर 23/12/22

पीएम स्वनिधि के बैंकों द्वारा निरस्त डेढ़ हजार प्रकरण पुनः बैंकों में लगेंगे, स्वीकृति मिलेगी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखाओं के कार्य से नाबुश कलेक्टर ने बैंक के चेयरमैन को पत्र लिखा



रतलाम। बैंकर्स अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझें और निभाएं। आपको आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने का अवसर मिला है। शासन द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। बैंक महिलाओं को सशक्त बनाने की इस मुहिम में समान रूप से सहभागी बने, समूहों की महिलाओं के अधिकाधिक प्रकरण स्वीकृत किए जाएं। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय सलाहकार समिति

की बैठक में दिए। इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री दिलीप सेठिया, नाबार्ड के जिला प्रबंधक श्री नितिन आलोने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लीड अधिकारी श्री सुमीर केसरवानी, विभागों के अधिकारी तथा बैंकर्स उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पूर्व में बैंक द्वारा निरस्त किए गए लगभग डेढ़ हजार प्रकरणों को पुनः बैंकों में लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्हें स्वीकृति देने के निर्देश बैंकर्स को दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीएम स्वनिधि आम आदमी की भलाई की महत्वकांक्षी योजना है जिसका अधिकाधिक लाभ गरीब वर्ग को दिलाना है। बैंकर्स अनावश्यक रूप से प्रकरणों को निरस्त नहीं कर सकते। समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति नहीं देने, वितरण नहीं करने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन तथा जनरल मैनेजर को पत्र लिखा गया है जिसमें रतलाम जिले की सेंट्रल बैंक

आफ इंडिया शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति में बढ़ती जा रही उदासीनता और अरुचि की जानकारी देते हुए कार्रवाई की बात कही गई है। कलेक्टर ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन को अगले दिनों रतलाम आए थे और उनके द्वारा मंच से जो चेक वितरण किए गए थे इनकी राशि भी हितग्राहियों के खातों में अब तक नहीं पहुंची है जो अत्यंत खेदजनक है। सेंट्रल बैंक शाखाओं में शासकीय योजनाओं के प्रकरणों की बढ़ी संख्या में पेंडेंसी बनी हुई है। बैठक में वर्ष 2022-23 के वार्षिक क्रेडिट प्लान का अनुमोदन किया गया। प्लान में 9648 करोड़ रुपए के ऋण वित्तभ्रंश सेक्टर में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आगामी 25 फरवरी को जिला मुख्यालय पर रोजगार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अधिकाधिक बैंकिंग सहभागिता के संबंध में कलेक्टर ने बैठक में चर्चा की और बैंकर्स को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। बताया गया कि रोजगार दिवस में लगभग 10 हजार हितग्राहियों को 54 करोड़ रुपए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

स्वतंत्र दस्तावेज 23/2/22

बैंकों द्वारा निरस्त डेढ़ हजार प्रकरण पुनः बैंकों में लगेगे

नाखुश कलेक्टर ने सेंट्रल बैंक के चेयरमैन को पत्र लिखा

रतलाम ● स्वदेश समाचार
जिला स्तरीय बैंकसं समन्वय सलाहकार समिति की बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पूर्व में बैंक द्वारा निरस्त किए गए लगभग डेढ़ हजार प्रकरणों को पुनः बैंकों में लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्हें स्वीकृति देने के निर्देश बैंकसं को दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीएम स्वनिधि आम आदमी को भलाई की महत्वकांक्षी योजना है जिसका अधिकाधिक लाभ गरीब वर्ग को दिलाना है। बैंकसं अनावश्यक रूप से प्रकरणों को निरस्त नहीं कर सकते।



समीक्षा के दौरान कलेक्टर कुमार विभिन्न शाखाओं द्वारा शासकीय पुरुषोत्तम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति नहीं

सेंट्रल बैंक की कार्यपालिका से नाराज कलेक्टर ने चेयरमैन को पत्र लिखा - कलेक्टर ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन जब दिगंत दिनों रतलाम आए थे और उनके द्वारा मंच से जो चेक वितरण किए गए थे उनकी राशि भी हितग्राहियों के खातों में अब तक नहीं पहुंची है जो अर्थात स्टैंडजंक है। सेंट्रल बैंक शाखाओं में शासकीय योजनाओं के प्रकरणों की बड़ी संख्या में पड़ेती बनी हुई है।

देने, वितरण नहीं करने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन तथा जनरल मैनेजर को पत्र लिखा गया है जिसमें रतलाम जिले को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति में बढ़ती जा रही उदासीनता और अर्लूच को जानकारी देते हुए कार्रवाई की बात कही गई है।

क्रेडिट प्लान का अनुमोदन

बैठक में वर्ष 2022-23 के वार्षिक क्रेडिट प्लान का अनुमोदन किया गया। प्लान में 9648 करोड़ रुपए के ऋण विभिन्न सेक्टर में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आगामे 25 फरवरी को जिला

मुख्यालय पर रोजगार दिवस के उपलक्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अधिकाधिक बैंकिंग सहभागिता के संबंध में कलेक्टर ने बैठक में चर्चा की और बैंकसं को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। बताया गया कि रोजगार दिवस में लगभग 10 हजार हितग्राहियों को 54 करोड़ रुपए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस बैठक में सोईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप सेठिया, नाबाई के जिला प्रबंधक निरिन आलोने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लीड अधिकारी सुधीर केसरवानी, विभागों के अधिकारी तथा बैंकसं उपस्थित थे।

स्वदेश 23/12/22